बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 438743 पटना, दिनांक 29-08-2019

ग्रा0वि0-14(म0)न0-01/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कार्यान्वित कराई जा रही योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निधि के विरूद्ध योजना की प्रगति का भौतिक निरीक्षण एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लोहिया स्वच्छता अभियान, **NRLM, SRLM** आदि योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके पूर्व इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का भी कार्यान्वयन कराया गया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में केन्द्र एवं राज्य सरकार की निधि का उपयोग होता है। योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ उपलब्ध कराए गए निधि की सदुपयोगिता सुनिश्चित करने से ही सही मायने में गरीबी उन्मूलन के लिए कर्णांकित लोक निधि की उपयोगिता के उद्देश्य की पूर्ति होगी। विभाग द्वारा योजनाओं के पारदर्शी रूप से कार्यान्वयन कराने के साथ ही योजनाओं की भौतिक प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण कर निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रेषित किये जाते हैं।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की कार्य गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 के पश्चात मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं में कोई भी अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं है । यदि किसी कर्मी के द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व ग्राम पंचायत/प्रखण्ड/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में रोकड़ बही/ योजना पंजी/ अभिलेख के आधार पर समायोजन हेतु लम्बित अग्रिम भुगतान की समीक्षा कर ली जाए कि योजनाओं में प्राप्त अग्रिम की राशि का समायोजन हुआ है या नहीं । यह संभव है कि अग्रिम के विरुद्ध अभिश्रव प्रस्तुत कर दिया गया हो परन्तु कार्यालय/पदाधिकारी की शिथिलता के कारण उसका समायोजन लंबित हो। ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन करवाया जाय। जिन योजनाओं में अग्रिम के विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है उस परिस्थिति में संबन्धित कर्मी/ पदाधिकारी से राशि वसूलने के दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। राशि वापस

नहीं किए जाने की स्थिति में संबन्धित दोषी कर्मी/पदाधिकारी पर निलाम पत्र वाद/प्राथमिकी/विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। (अनुपालन- जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/ कार्यक्रम पदाधिकारी)

2. विभिन्न माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित किया जाए।
3. SQM/NLM/ अन्य पदाधिकारियों द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर ससमय आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए । इसी प्रकार मनरेगा लोकपाल द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन ससमय करना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- उप विकास आयुक्त)
4. प्रत्येक योजना का स्थल/ भौतिक निरीक्षण कार्यकारी एजेंसी तथा सम्बंधित अभियन्ता (कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता) द्वारा नियमित अंतराल पर किया जायेगा। योजना के अभिलेख में निरीक्षण टिप्पणी तिथिवार अंकित किए जाने के साथ ही योजना में पायी गई त्रुटियों एवं गुणवत्ता का भी स्पष्ट उल्लेख करते हुए उनके निराकरण हेतु अपेक्षित कार्रवाई का उल्लेख भी योजना अभिलेख में किया जाए। (अनुपालन- उप विकास आयुक्त)
5. विभागीय पत्रांक-353896 दिनांक-13.02.2018 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं का केस रिकार्ड/कार्य फाइल का रख-रखाव कराना सुनिश्चित किया जाए । विभागीय पत्रांक-293055 दिनांक-02.12.2016 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में सात रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित किया जाए । विभागीय पत्रांक 346703 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट्ट लगाना सुनिश्चित किया जाए। (अनुपालन- कार्यक्रम पदाधिकारी)
6. योजना पूर्ण होने पर अभिलेख को अंतिम रुप से बंद करने के पूर्व सक्षम स्तरीय अभियंता से अंतिम जाँच करायी जाए और तदनुसार मस्टर रोल, भाउचर भी योजना अभिलेख में अद्यतन करा लिया जाए एवं अभिलेख बंद करने के पूर्व कार्यकारी एजेंसी/संबन्धित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा स्वतः योजना की भौतिक/स्थलीय निरीक्षण किया जाए और उसका स्पष्ट जिक्र योजना अभिलेख में अंकित करते हुए ही अभिलेख को बंद किया जाए ।(अनुपालन- कार्यक्रम पदाधिकारी)
7. योजनाओं में आपूर्ति की गई सामग्री के आधार पर नियमानुसार रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती की जाए एवं ससमय उचित शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए । (अनुपालन- कार्यक्रम पदाधिकारी)
8. प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर सर्क्युलर एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप ही योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाए । (अनुपालन- कार्यक्रम पदाधिकारी)
9. सभी योजना पूर्ण कराने के लिए समय निर्धारित की जाए तथा उस समय सीमा का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए । (अनुपालन- उप विकास आयुक्त)
10. प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा दिवस का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीम प्रत्येक प्रखंड के कम से कम एक ग्राम पंचायत का निरीक्षण करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें

कि ग्राम पंचायत में स्थायी परिसम्पतियों का सृजन किया जा रहा है तथा मनरेगा अधिनियम का अनुपालन किया जा रहा है ।(अनुपालन- जिला पदाधिकारी)

11. मनरेगा योजना अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा शत प्रतिशत कार्यों का तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण कराया जाए एवं यह सुनिश्चित कराया जाए कि जिला स्तर से कराये जाने वाले निरीक्षण में सभी प्रखंड सम्मिलित हों ।(अनुपालन- जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/ कार्यक्रम पदाधिकारी)

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)</u>

12. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार योजनान्तर्गत दी गई सहायता राशि से लाभुकों द्वारा बारह माह के अंदर आवास का निर्माण स्वयं किया जाना है । लाभुकों को निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार अग्रेतर किश्त की राशि उनके बैंक खाता में FTO के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है । लाभुकों को आवास निर्माण में सहयोग एवं अनुश्रवण हेतु जिला से लेकर पंचायत स्तर तक कर्मियों का नियोजन एवं प्रतिनियुक्ति की गई है ।

उल्लेखनीय है कि योग्य लाभुकों की पहचान एवं इनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करने हेतु विभागीय पत्रांक-276296 दिनांक-24.06.2016 द्वारा निदेश दिये गये हैं । इस पत्र के अनुसार योग्य लाभुकों की सूची जाँचोपरांत तैयार कराने की जाबवदेही **संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी** को दी गई है। अयोग्य लाभुकों के नाम प्रतीक्षा सूची से हटाने हेतु Remand की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । इसके लिए विभागीय पत्रांक-382746 दिनांक-03.08.2018 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । इसके अनुसार अयोग्य लाभुक का नाम प्रतीक्षा सूची से विलोपन हेतु **उप विकास आयुक्त व प्रखंड विकास पदाधिकारी** को जिम्मेदारी दी गई है ।

प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्रांक-427262 दिनांक-04.06.2019 से प्रतीक्षा सूची का दीवार लेखन कराने का निदेश दिया गया है । योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की पहचान हेतु विभागीय पत्रांक-347232 दिनांक-09.01.2018 से लाभार्थी के आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लोगो बनाने के साथ ही अन्य आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्टि करने का निदेश दिया गया है । लाभार्थियों को समय पर आवास पूरा करने के उद्देश्य से उत्प्रेरण हेतु विभागीय पत्रांक-386284 दिनांक-29.08.2018 से 'आवास दिवस' के साथ-साथ 'लाभार्थी संवाद' आयोजित करने का निदेश दिया गया है । लाभार्थियों को ससमय सहायता राशि के भुगतान FTO के माध्यम से करने हेतु विभागीय पत्रांक-305823 दिनांक-27.03.2017 से आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

आवास निर्माण का अनुश्रवण करने के लिए कर्मियों के दायित्वों को निर्धारित करते हुए विभागीय पत्रांक-369417 दिनांक-16.05.2018 निर्गत किया गया है । इसके अंतर्गत आवास लाभ अथवा सहायता राशि के भुगतान के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु पंचायत स्तर पर **ग्रामीण आवास सहायक**, प्रखंड स्तर पर FTO निर्माण हेतु **लेखा सहायक**, आवास सॉफ्ट पर प्रविष्टि हेतु **कार्यपालक सहायक**, प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण हेतु **ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक** एवं **प्रखंड विकास पदाधिकारी** को जबावदेह बनाया गया है । जिला स्तरीय अनुश्रवण हेतु **उप विकास आयुक्त एवं निदेशक**, **लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन** को जबावदेही सौंपी गई है।

निर्धारित अवधि के अंदर आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक- 379032 दिनांक-13.07.2018 द्वारा निदेशित किया गया है ।

वर्तमान में राज्य स्तरीय विडियों कॉफ्रेंसिंग से भी आवास पूर्ण कराने हेतु कार्यान्वयन के

सभी मापदंडों पर गहन समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है ।

उपर्युक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि ससमय अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आवास निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

<u>पूर्व से संचालित योजना तथा अन्य योजना</u>

13. पूर्व में संचालित योजना से सम्बन्धित अभिलेख की छान-बीन करायी जाए। अभिलेख के आलोक में स्थलीय निरीक्षण करवाया जाए। स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता की एक टीम गठित किया जाए। टीम योजना का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि योजना पूर्ण हुआ या नहीं, यदि पूर्ण हो गया हो तो योजना में दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हुआ या नहीं। यदि **MB** से अतिरिक्त राशि अभिकर्त्ता के पास लंबित है तो राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।(अनुपालन-उप विकास आयुक्त/प्रखंड विकास पदाधिकारी/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता)

यदि योजना अपूर्ण है तो योजना में दी गई अग्रिम के आलोक में यदि कार्य नहीं हुआ है तो अभिकर्ता से राशि वसूली की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। संभव है कि कुछ योजनाओं में अग्रिम के आलोक में कार्य कर दिया गया हो, अभिश्रव एवं **MB** जमा कर दिया गया हो, किन्तु कार्यालय की लापरवाही के कारण उसका समायोजन नहीं हुआ हो। इस परिस्थिति में समायोजन करवाना सुनिश्चित किया जाय। (अनुपालन-प्रखंड विकास पदाधिकारी)

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि योजनाओं का ससमय कर्यान्वयन तथा राशि का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों/अभियंताओं/कर्मियों को अनुपालनार्थ इसकी प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

29/8/19

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव